



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श10)

(सं0 पटना 875) पटना, बुधवार, 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

9 जुलाई 2020

सं० 685—श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज, ग्राम—वासुदेवपुर, टोला—बथनाहा, था0—पुरैनी, जिला—मधेपुरा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं० 1994 है।

इस न्यास से संबंधित CWJC No.- 1731/2016 (मोहन राम दास उर्फ महेन्द्र दास बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2016 को पारित आदेश के आलोक में सेवायत के बिन्दु पर पर्षद में सुनवाई की गई। पर्षद द्वारा सभी पक्षों को सुनने के उपरांत एक विस्तृत आदेश दिनांक 17.08.2017 द्वारा 05 सदस्यीय न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी को अध्यक्ष तथा याचि मोहन राम दास तथा विपक्षी आनन्दी दास को सदस्य के रूप में मान्यता दी गई थी। आदेश में यह भी निर्देश दिया गया कि आनन्दी दास वृद्ध हो गए हैं, यदि वे चाहें तो विपक्षी सं०— 05 अशोक दास को सदस्य के रूप में तथा दो शेष सदस्य की नियुक्ति उक्त तीन सदस्यों द्वारा बैठक कर करेगी, परंतु चुने जाने वाले दो सदस्य पर्षद द्वारा चुने गए परिवार के नहीं होंगे। उक्त निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में तथा दो सदस्यों के साथ बैठक दिनांक 05.06.2018 को की गई, जिसमें सहमति से दो सदस्यों के साथ बैठक दिनांक 05.06.2018 को की गई, जिसमें सहमति से दो सदस्यों श्री रजनीश कुमार एवं श्री राधेश्याम दास को क्रमशः सचिव एवं कोषाध्यक्ष बनाते हुए नामित किया गया तथा अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्र द्वारा 05 सदस्यों की समिति गठित कर किए जाने की सूचना दी। पर्षद द्वारा उक्त पत्र के आलोक में सभी चारों व्यक्तियों के चरित्र—सत्यापन हेतु संबंधित थानाध्यक्ष से रिपोर्ट की मांग की गई। थाना द्वारा सत्यापन रिपोर्ट अपने पत्र दिनांक 24.11.19, जो पर्षद को दिनांक 10.12.19 को प्राप्त करायी।

अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने पत्र/रिपोर्ट दिनांक 06.06.2018 के प्रस्ताव सं०— 03 में लिखा गया कि आनन्दी दास स्वयं काम करना चाहते हैं, परंतु प्रस्ताव सं०— 05 में जो 05 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया, इसमें आनन्दी दास के स्थान पर उनके पुत्र अशोक दास को सेवायत सदस्य बनाया। उक्त स्थिति को स्पष्ट करने हेतु पर्षद

द्वारा दिनांक 25.01.2020 को अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है जो अबतक अप्राप्त है, जिससे स्पष्ट होता है 5वें सदस्य के रूप में आनन्दी दास के पुत्र अशोक दास को उनकी सहमति से रखा गया है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है**, का प्रयोग करते हुए **“श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज, ग्राम- वासुदेवपुर, टोला- बथनाहा, था0- पुरैनी, जिला- मधेपुरा”** के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज न्यास योजना, ग्राम- वासुदेवपुर, टोला- बथनाहा, था0- पुरैनी, जिला- मधेपुरा”** होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज न्यास समिति, ग्राम- वासुदेवपुर, टोला- बथनाहा, था0- पुरैनी, जिला- मधेपुरा”** होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।
2. न्यास समिति न्यास के सुचारु प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।
3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकालकर खर्च किया जायेगा।
4. न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।
5. मठ परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।
6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।
7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
8. न्यास समिति द्वारा मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।
9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।
10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत्त आदि का पर्वद को सम्यक प्रेषण करेगी।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।
14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्वद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।
16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्वद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पर्वदीय आदेश दिनांक 17.08.2017 के आलोक में निम्नलिखित सदस्यों का नाम भेजा है, उसे स्वीकार करते हुए 05 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया जाता है, जो ठाकुर गोपाल जी महाराज, ग्राम- वासुदेवपुर बथनाहा तथा उसे संबंधित लगभग 29 बीघा जमीन की देखरेख एवं आय के उद्देश्य से पट्टे आदि पर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समय-सीमा में लिए-दिए जाने का अधिकार के साथ मान्यता दी जाती है:-

(1)	अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)	—	पदेन अध्यक्ष
(2)	श्री रजनीश कुमार मुखिया	—	सचिव
	ग्राम पंचायत- कुरसडी, प्रखंड- पुरैनी, जिला- मधेपुरा।		
(3)	श्री राधेश्याम दास, सरपंच	—	कोषाध्यक्ष
	ग्राम पंचायत- कुरसडी, प्रखंड- पुरैनी, जिला- मधेपुरा।		
(4)	श्री मोहन राम दास	—	सदस्य
	ग्राम- बथनाहा, पो0- कुरसडी, था0- पुरैनी, जिला- मधेपुरा।		
(5)	श्री अशोक दास	—	सदस्य
	ग्राम- बथनाहा, पो0- कुरसडी, था0- पुरैनी, जिला- मधेपुरा।		

उपरोक्त न्यास समिति में संरक्षक के रूप में श्री कृष्ण मोहन शर्मा तथा श्री रंजनीकांत ठाकुर नामित किया जाता है, जिनके निर्देशन में यह न्यास समिति कार्य करेगी। उक्त नामों का चरित्र-सत्यापन संबंधित थाना से प्राप्त होने के उपरांत समिति को स्थायी किए जाने का विचार किया जाएगा।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि "श्री ठाकुर गोपाल जी महाराज, ग्राम-वासुदेवपुर, टोला-बथनाहा, था0-पुरैनी, जिला-मधेपुरा" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोट:- न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य, न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलौन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 875-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>